**उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल**

**दिनांक 27 अगस्त, 2021**

**समक्ष : माननीय मनोज कुमार तिवारी, जज,**

रिट पिटिशन (एम/एस) नम्बर 69 वर्ष 2012

सीमान्त सहकारी संघ लिमिटेड चमोली..... याचिकाकर्ता

(द्वारा श्री पंकज पुरोहित, अधिवक्ता)

बनाम

टैक्सी यूनियन चमोली और अन्य ..... प्रतिवादीगण

(द्वारा श्री बी0 एस0 नेगी, अधिवक्तां)

**निर्णय**

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने विद्वान लघु वाद न्यायालय/सिविल जज (सीनियर डिविजन), चमोली द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 21.02.2011 और तद्नुसार विद्वान जिला जज, चमोली द्वारा जे. एस. एस. सी. निगरानी संख्या 04 वर्ष 2011 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 15.09.2011 को चुनौती दी है।

2. निचली दोनों अदालतों से हारने के बाद याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

3. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को एक कियोस्क (टिन–शेड) से बेदखल करने के लिये लघु वाद न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा दायर किया गया, जिसमें दावा किया गया कि उसने अपनी इमारत के बगल में, उस भूमि पर इसका निर्माण किया था, जो उसे आवंटित की गयी थी।

4. प्रतिवादी संख्या 02 ने अपने जवाबदावा में तर्क दिया कि यद्यपि उन्होंने कुछ समय के लिये याचिकाकर्ता से किराये पर खोखा लिया था, लेकिन बाद में इसे खाली कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने सरकारी भूमि पर एक और टिन–शेड का निर्माण किया, जिसके लिये उन्हें उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के तहत कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 02 ने अपने और याचिकाकर्ता के बीच मकान मालिक–किरायेदार के रिश्ते से इंकार किया और तर्क दिया कि कियोस्क, जो अब उसके कब्जे में है, याचिकाकर्ता का नहीं है।

5. विद्वान लघु वाद न्यायालय ने दिनांक 21.02.2011 के आदेश के तहत प्रान्तीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 23 को लागू करके याचिकाकर्ता को वाद वापस कर दिया और माना कि चूंकि कियोस्क पर स्वामित्व के सम्बन्ध में विवाद मुकदमें में शामिल है, इसलिये यह प्रान्तीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम 1887 के प्रावधानों के तहत सारांश कार्यवाही में निर्णीत नहीं किया जा सकता है।

6. याचिकाकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 25 के तहत पुनरीक्षण दायर किया, जिसे विद्वान जिला न्यायाधीश, चमोली ने दिनांक 15.09.2011 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया। विद्वान न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों और आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. प्रान्तीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 23(1) इस प्रकार है –

''23. हक के प्रश्नों को अंतर्वलित करने वाले वादों में वादपत्र का वापस किया जाना–

(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी भाग में किसी बात के होते हुए भी, जब वादी के अधिकार और लघु वाद न्यायालय में उसके द्वारा दावा किया गया अनुतोष स्थावर सम्पत्ति के हक या किसी अन्य हक के, जो ऐसा न्यायालय अन्तिमतः अवधारित नहीं कर सकता है, साबित या नासाबित किये जाने पर आधारित है, तब न्यायालय कार्यवाही के किसी भी अनुक्रम पर वाद पत्र को हक का अवधारण करने की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को प्रस्तुत करने के लिये वापस कर सकता है।

(2) जब न्यायालय किसी वादपत्र को उपधारा (1) के अधीन वापस करता है तो वह सिविल प्रक्रिया संहिता (1882 का 14) की धारा 57 के दूसरे पैरा के उपबन्धों का अनुपालन करेगा और खर्चे के बारे में ऐसा आदेश देगा जो वह न्यायोचित समझे, और न्यायालय इंडियन लिमिटेशन एक्ट, 1887 (1877 का 15) के प्रयोजनों के लिये, अधिकारिता की त्रुटि की प्रवृत्ति के हेतु के कारण वाद को ग्रहण करने में असमर्थ समझा जाएगा।''

9. उपरोक्त अधिनियम की धारा 23(1) के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालय में उक्त प्रावधान के तहत निहित शक्ति विवेकाधीन

है। इसका प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब लघु वाद न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में वादी द्वारा दावा किया गया अनुतोष अचल सम्पत्ति के स्वामित्व के सबूत या खण्डन पर निर्भर करता है और मांगा गया अनुतोष, हक के सम्बन्ध में प्रश्न के निर्धारण के बिना नहीं दिया जा सकता है।

10. इस बिन्दु पर कानून तय है कि हालांकि, सम्पत्ति पर स्वामित्व का प्रश्न बेदखली मुकदमे के निर्णय के लिये उपयुक्त नहीं है और ऐसे मुकदमे में, स्वामित्व का प्रश्न, यदि विवादित है, तो संयोग से समाप्त हो सकता है, मुकदमेबाजी करने वाले पक्षों के बीच सम्बन्धों के बारे में मुख्य प्रश्न निर्धारित करने के लिये प्राथमिक प्रश्न के सम्बन्ध में एल0आई0सी0 बनाम इंडिया ऑटोमोबाइल्स एण्ड कंपनी (1990) 4 एस.सी.सी. 286 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मकान मालिक और किरायेदार के बीच बेदखली के मुकदमें में अदालत सम्पार्श्विक मुद्दों पर केवल प्रथमदृष्टया निर्णय लेगी कि क्या आवेदक जमींदार था, यदि न्यायालय को लगता है कि दोनों पक्षों के बीच मकान मालिक और किरायेदार का रिश्ता मौजूद है, तो उसे कानून के अनुसार डिक्री पारित करनी होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि न्यायालय को केवल यह संतुष्ट करना है कि बेदखली की मांग करने वाला व्यक्ति मकान मालिक है, जिसके पास प्रश्नगत सम्पत्ति का किराया प्राप्त करने का प्रथमदृष्टया अधिकार है और यह निर्णय लेने के लिये कि क्या किरायेदार द्वारा मकान मालिक के मालिकाना हक से इंकार करना प्रामाणिक है, न्यायालय को इस मुद्दे पर किरायेदार के विवाद में जाना पड़ सकता है, लेकिन न्यायालय को मालिकाना हक के सवाल पर अंतिम फैसला नहीं करना है, क्योंकि अदालत को यह देखना होगा कि किरायेदार द्वारा मालिकाना हक से इंकार किया गया है या नहीं मकान मालिक मामले की परिस्थितियों के प्रति ईमानदार है।

11. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाते हुए बेदखली के लिये मुकदमा दायर किया कि उसने प्रतिवादी को खोखा किराये पर दे दिया था, जबकि प्रतिवादी ने दलील दी कि उसने खोखा खाली कर दिया था, जिसे याचिकाकर्ता ने उसे किराये पर दे रखा था और अब वह एक और कियोस्क पर कब्जा कर रहा है, जिसे उसने याचिकाकर्ता के भवन के बगल में सरकारी भूमि पर बनाया था। इस प्रकार प्रतिवादीगण के कब्जे में कियोस्क पर स्वामित्व के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठा और याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया अनुतोष स्वामित्व के प्रश्न के निर्धारण के बिना प्रदान नहीं किया

जा सकता है।

12. दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता द्वारा अपने मुकदमे में दावा किया गया अनुतोष देने के उद्देश्य से, लघु वाद न्यायालय के लिये सम्पत्ति के स्वामित्व को अंतिम रूप से निर्धारित करना बिल्कुल आवश्यक था, जिसे उक्त अधिनियम के अंतर्गत सारांश कार्यवाही में निर्धारित नहीं किया जा सकता था।

13. इस मामले को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय को निचली अदालतों द्वारा दिये गये निर्णयों में कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती है।

14. चूंकि विद्वान न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय ने प्रान्तीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 23(1) के तहत विवेकपूर्ण तरीके से अपने विवेक का प्रयोग किया गया है और विद्वान जिला न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के पुनरीक्षण को सही ढंग से खारिज कर दिया है, इसलिये इस न्यायालय ने इस रिट याचिका में दिये गये निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है।

15. तद्नुसार रिट याचिका असफल हो जाती है तथा उसे खारिज किया जाता है।

16. व्यय के रूप में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

**(मनोज कुमार तिवारी, जज)**